प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): अध्यक्ष महोदया जी, आज 8 अगस्त है। अगस्त क्रांति का बिगुल 8 अगस्त को बजा था और महात्मा गांधी जी ने 'भारत छोड़ो' मंत्र के साथ देश को आजादी के पूरे आंदोलन में एक बहुत बड़ी तीव्रता के साथ आंदोलित किया था और 9 अगस्त को आजादी के दीवानों पर बहुत सारे ज़ुल्म ढहाए गये थे। आज इस 8 अगस्त को उन सभी आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए 75 साल हो गये हैं। आज 8 अगस्त को टैक्स टेरोरिज्म से मुक्ति की दिशा में हमारी संसद, दोनों सदनों के सभी सांसद मिलकर एक बहुत बड़ा, अहम कदम उठाने जा रहे हैं।

हमारे देश में टैक्स को लेकर कैसी स्थिति रही है, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा कि टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया था। उसमें यह विषय आया था कि नारियल को फल माना जाये या सब्जी माना जाये। नारियल पर फल के आधार पर टैक्स हो या सब्जी के आधार पर टैक्स में मुक्ति मिले। यह मसला सुप्रीम कोर्ट तक चला था। टैक्स की हमारी जो पूरी परम्परा रही है, उसमें कैसे-कैसे उतार-चढ़ाव आये हैं, इसे समझने के लिए यह घटना अपने आप में पर्याप्त है।

मैं इस समय एक प्रकार से सभी राजनीतिक दलों, सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो सरकारें चल रही हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम एक ऐसा निर्णय कर रहे हैं, जिसमें राज्य सभा, लोक सभा, 29 राज्य और 90 ऐसे राजनीतिक दल, जिनके कोई न कोई नुमाइंदे जीत कर आये हैं। उन सबने एक व्यापक मंथन करके, विचार मंथन करके आज हमें यहां पहुंचाया है और जिस पर हम कुछ समय के बाद अंतिम निर्णय के लिए मुहर लगायेंगे। इसलिए यह बात सही है कि जन्म कोई देता है और लालन-पालन कोई और करता है। कृण को जन्म किसी ने दिया और बड़ा किसी और ने किया। लेकिन यह भी सही है कि यह किसी दल, किसी सरकार की विजय नहीं है। यह भारत की लोकतंत्र की उच्च्य परम्पराओं की विजय है।

<u>18.00 hours</u>

यह सभी राजनीतिक दलों की विजय है। यह पहले की और वर्तमान, सभी सरकारों के योगदान से हुआ है और इसलिए कौन जीता, कौन हारा, इसके लिए मैं नहीं मानता हूं कि किसी विवाद की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो इस बिल की समाप्ति तक सभा की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र मोदी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, वरना मुझे लग रहा था कि खड़गे जी मेरे लिए समय रखेंगे या नहीं रखेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपके बगैर यहां पत्ता भी नहीं हिलता है, समय की क्या बात है।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: इस बधाई के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदया, GST का मतलब है - Great Step by Team India. GST का मतलब है - Great Step Towards Transformation. GST का मतलब है - Great Steps Towards Transparency. इसलिए हम एक नई व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। एक भारत-श्रेठ भारत, यह हम सबका सपना है। जब हम रेलवे की तरफ देखते हैं तो एक भारत की अनुभूति आती है। जब हम अपने डाकखाने देखते हैं तो एक भारत की अनुभूति आती है। जब हम ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को देखते हैं तो एक भारत की महक आती है। हम आईपीसी-सीआरपीसी की तरफ नजर करते हैं तो हमें एक भारत की पहचान दिखती है। जब हम आज भारत नेट की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सागरमाला की बात करते हैं, तो ये सारे उपक्रम एक भारत के भाव को बल देते हैं, ताकत देते हैं। उसी सिलसिले में आज जीएसटी के रूप में वह एक नया मोती हम इस माला में पिरो रहे हैं, जो एक भारत के भाव को ताकत देता है। यह सिर्फ कर व्यवस्था नहीं है, सब राज्य और केन्द्र मिलकर एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें, जिसमें छोटे से छोटा राज्य हो या बड़े से बड़ा राज्य हो, सबको यह व्यवस्था अपनी लगे। यह एक भारत को ताकत देने वाली बात है और उस अर्थ में मैं इसका बड़ा महत्व समझता हूं। कभी-कभी जीएसटी को लेकर संशय भी रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे मन में भी बहुत संशय थे। प्रणब मुखर्जी साहब से मैंने कई बार उस विचार-विमर्श भी किए। जीएसटी को एक मुख्यमंत्री की नजर से देखने के कारण, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन मुद्दों को एड्रेस करना मेरे लिए सरल रहा, वह अनुभव मुझे काम आया। उस समय राज्यों की जिन बातों को हम एड्रेस नहीं कर पाते थे, कुछ बातें उजागर नहीं हो पा रही थीं, कुछ बातें ओझल हो जाती थीं, ये सारी बातें इतने लम्बे काल के मंथन के कारण, उसमें सिर्फ मेरा ही योगदान रहा हो, ऐसा नहीं है, उसमें सबका योगदान रहा, बहुत सी कमियों को दूर करने में हम सफल हुए हैं। यह सामूहिक मंथन का नतीजा है। फिर भी यह सत्य है कि हम पर्फेक्ट हो सकते हैं, कुछ कमी नहीं रह सकती है, आगे चलकर कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा गुरूर कम से कम इंसान तो नहीं कर सकता है। इतने सारे ब्रेन्स ने कसरत की है, कोशिश की है, अच्छा करने का प्रयास किया है और उस प्रयास का परिणाम भी मिलेगा। आज देश अनुभव कर रहा है कि एक मंच, एक मत, एक मार्ग, एक मंजिल और यह मंत्र आज जी.एस.टी. की इस सारी

प्रोसैस में हम सबने अनुभव किया है। इसलिए यह बात सही है कि राज्य सभा में अंकगणित में तो यह बिल संकट में आ सकता था। यह भी सही है कि राज्यों को केन्द्र के प्रति अविश्वास का माहौल था। अपने-अपने अनुभवों के कारण था और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि राज्यों और केन्द्र के बीच एक विश्वास पैदा हो।

सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि इस बात का बहुमत के आधार पर निर्णय न हो। हम कतई नहीं चाहते थे और मैंने पहले भी इसी सदन में कहा है कि लोकतंत्र बहुमत के अंक का खेल नहीं हो सकता है। यह सहमति की यात्रा है। इसलिए हम लगातार विचार-विमर्श करते रहे हैं। आज हमारे मोइली जी को एक बात का बहुत बुरा लगा कि इस हाउस को जूनियर हाउस कहा जाता है। जो लोग इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं, उन लोगों को आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा। वे बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, यह कहना कठिन है, लेकिन जब मैंने विचार-विमर्श के लिए आदरणीय सोनिया जी को बुलाया था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बुलाया था, एक लोक सभा से थे, एक राज्य सभा से थे। मैंने दोनों को बराबरी का महत्व देते हुए, जी.एस.टी. को लेकर विचार-विमर्श किया था। इसलिए हमारी यह कोशिश रही है, सबके सुझावों को स्वीकार करने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि एक अभूतपूर्व सहमति का माहौल पैदा हुआ है। अब इसमें से शक्ति पैदा होती है, जो शक्ति राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी अमानत होती है। हम सब अलग-अलग राजनीतिक विचारों से जुड़े हुए हैं। राजनीति हम लोगों के ज़ेहन में है और हमारी बातों में कहीं न कहीं वह आ जाना भी बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस पूरी जी.एस.टी. की चर्चा में हमने देखा कि एक यह सदन एक पवित्र स्थान है और हममें से किसी ने भी इसको राजनीति का मंच नहीं बनने दिया। यह राष्ट्रीय मंच बना। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि माना गया। यह भारत के लोकतंत्र के उज्ज्वल पहलुओं में से एक है। राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है। इस बात को हम सबने मिलकर सिद्ध किया। इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रस्ताव हुआ है, उसमें किसी की कोई शिकायत नहीं होगी। यह जरूरी नहीं है कि वहीं शिकायत होंगी, यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे, जिनको लगता होगा कि इसकी बजाए ऐसा होता तो अच्छा होता। फुलस्टॉप यहां की बजाएं कौमा यहां होता तो अच्छा होता। यह रहना ही रहना है। यही तो लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। जी.एस.टी. की व्यवस्था के कारण बहुत बड़ी सरलताओं की संभावनाएं हम देख रहे हैं। आज हम जानते हैं कि हर राज्य में अलग-अलग भांति के फॉर्म भरना, इतनी लम्बी प्रोसैस होती है। सरकारी अफसरों को भी उन कागजों को देखना है। अब टैक्स सिस्टम के अंदर, उसकी प्रोसैसिंग के अंदर, टैक्स के रेट के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इसका सीधा परिणाम होने वाला है, एक क्लीयर मैसेज जाने वाला है कि

consumer is a king. जी.एस.टी. की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इससे साफ मैसेज जाने वाला है कि ultimately, consumer is a king. एक कानून, एक व्यवस्था कंज्यूमर को किंग बनाये, यह अपने-आप में बहुत बड़ा योगदान है।

मेरा अंदाज है कि इस जी.एस.टी के बाद सात से लेकर ग्यारह तक अलग-अलग जो कर व्यवस्थायें हैं, जिससे हर छोटे-मोटे उद्यमी और व्यापारी को जुड़ना पड़ता है, इसके कारण सात से लेकर, 11, 12, 13 तक ऐसी कर प्रथायें समाप्त हो जायेंगी, एक सरलीकरण आ जायेगा। इससे छोटे उद्यमियों को लाभ होगा और कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। जो छोटे उत्पादक हैं, उनको जी.एस.टी. सुरक्षा की गारंटी देता है। हमारे इकोनॉमी को ड्राइव करने में जो छोटे-छोटे उद्यमकार हैं, वह एक बहुत बड़ी ताकत है, हम उनको जितना सुरक्षित करेंगे, उतना ही इसके कारण बहुत लाभ होगा।

हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो भिन्न पहलू होंगे, मेरा एक छोटा-सा मत है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू ढ़ंग से चलाने के लिए अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने के लिए अगर पांच बातों की ओर ध्यान केन्द्रीत करते हैं - मैन, मशीन, मैटेरियल, मनी और मिनट, समय, अगर इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हमारी व्यवस्थायें आगे बढ़ती हैं तो इकोनॉमी को बढ़ने के लिए और कोई नए अवसर तलाशने नहीं होते हैं।

हमारी चुंगी प्रथा के कारण, चाहे ऑक्ट्राय का स्थान हो या दो स्टेट्स के बॉर्डर के पास चुंगी नाका हो, वहां हम व्हीकल्स की मीलों दूर तक कतार देखते हैं। ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में जो चलते-फिरते साधन हैं, वे अपनी क्षमता का सिर्फ 40 प्रतिशत यूटिलाइज करते हैं और 60 प्रतिशत उनको कहीं न कहीं रूकना पड़ता है। अभी-अभी आर्थिक दृष्टि से रिसर्च करने वाली एक इंडीपेंडेंट एजेंसी ने अपना सर्वे बताया है कि केवल उनके रूके रहने के कारण भारत में एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपयों का वेस्टेज होता है, उसमें सारी की सारी भूमिका चूंगी की नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में चूंगी भी है। जी.एस.टी. के कारण ये सारे हर्डल्स, अन्य प्रकार के हर्डल्स होंगे तो वे समय रहते निकलेंगे, लेकिन उसके कारण एन्वायरन्मेंट को फायदा होगा, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पेट्रोल जलता रहता है, डीजल जलता रहता है। हमारे बहुत सारे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो देरी होती है, इन सारी चीजों में बहुत बड़ी सुविधा पैदा होने वाली है और उसके कारण एक सरलीकरण आने वाला है। जिसके कारण हम विदेश से जो पेट्रोलियम लाते हैं, उसमें भी कमी आयेगी। हमारे यहां सभी प्रकार की शक्ति रखने वाले राज्य नहीं हैं। हर राज्य एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। किसी को एक चीज किसी से लेनी पड़ती है और दूसरी चीज किसी राज्य को देनी पड़ती है, तब उनका कारोबार चलता है। उसमें आज की व्यवस्थाएं बहुत हर्डल पैदा

करती हैं। इस एक व्यवस्था के कारण सभी कठिनाइयों को दूर करने में सुविधा होगी और ऐसे राज्यों की इनकम भी बढ़ेगी। आज हमारे देश के जो राज्य पिछड़े हुए माने जाते हैं, इस व्यवस्था के कारण उनकी आय बढ़ना एक गारंटी होगी। अगर इन राज्यों को शिक्षा में धन लगाना है, हैल्थ सैक्टर में धन लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में धन लगाना है, तो उनके लिए इस व्यवस्था की वजह से जो आय बढ़ने वाली है, उस आय से बहुत बड़ा लाभ ऐसे राज्यों को होने वाला है।

यह बात निश्चित है कि भारत के विकास के लिए पश्चिम में जिस तरह का विकास हम देख रहे हैं, सबसे पहली आवश्यकता है कि भारत के पूर्वी हिस्से की भी बराबरी देश के अन्य हिस्सों की तुलना में तुरंत होनी चाहिए, वरना यह असंतुलित विकास तेज गति से देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में रुकावट पैदा कर सकता है। जी.एस.टी. के कारण ऐसे राज्यों को एक नया अवसर मिला है। मैं ऐसे राज्यों से अनुरोध करूंगा कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद वे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। जो धन उनके पास आए, अगर उस धन को राज्य की मूलभूत चीजों पर बल देंगे, तो देखते ही देखते देश जिन सपनों को देख रहा है, उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। यह बात सही है कि मैनुफैक्चरिंग राज्यों के सामने कुछ तकलीफें हैं और कन्ज्यूमर स्टेट को ज्यादा फायदा होने वाला है लेकिन भारत सरकार ने जी.एस.टी. के माध्यम से उन्हें कम्पनसेट करने के लिए जी.एस.टी. में प्रावधान किया है और जिन राज्यों को तकलीफ होने वाली है, उनका भी समाधान इसमें होने वाला है।

आम तौर पर दो सगे भाइयों के बीच भी अगर झगड़ा हो जाता है, तो या तो सम्पत्ति के कारण हो सकता है या संसाधनों की वजह से हो सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच का तनाव भी ज्यादातर या तो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर रहता है या सम्पत्ति को लेकर रहता है कि इतना टैक्स है, हमें क्या मिलता है, हमें यह मिलना चाहिए, हमें वह मिलना चाहिए आदि-आदि। इस व्यवस्था के कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि केंद्र और राज्य से कितना धन एकत्र हो रहा है, किस खजाने में कितना जमा हो रहा है, यह राज्य को भी पता होगा और केंद्र को भी पता होगा और लिखित नियमों के आधार पर उसका बंटवारा भी होगा। फैड्रल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी आवश्यकता विश्वास की होती है। यह विश्वास पैदा करने के लिए एक बहुत बड़े कैटेलिक एजेंट के रूप में यह नई व्यवस्था काम आने वाली है जो भारत के फैड्रल सिस्टम को मजबूत करने वाली है। जो भी टैक्स क्लेक्शन होगा, वह दोनों की जानकारी में होगा, जिसके कारण बहुत सुविधा बढ़ने वाली है। अच्छा होता हमारे खड़गे जी ने इस बिल की कुछ बातों को बारीकी से देखा होता। शायद जिस समय यह बना होगा, उस समय देखने का अवसर न मिला हो।...(व्यवधान) कभी बताऊंगा। जी.एस.टी. बिल ऐसा है जिसमें गरीबों के लिए उपयोगी ज्यादातर चीजें हैं, वे सभी टैक्स के दायरे से बाहर हैं। कन्ज्यूमर इन्फ्लेशन निर्धारित करने की आइटम में लगभग 55 प्रतिशत फूड और जरूरी दवाएं

जी.एस.टी. के बाहर हैं।...(व्यवधान) बोलने के लिए कुछ चीजें अच्छी रहती हैं और आपको भी तो कल मीडिया में कुछ जगह मिलनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है।

व्यवस्था के कारण कभी-कभार कुछ चीजें फायदा करती हैं। हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट हमेशा रहता था, पहले कर्ज करो, फिर राज्य कर्ज में डूब जाते थे, यह चलता रहता था। सभी मिलकर एफआरबीएम कानून की ओर गए। फाइनैंशियल डिस्पिलिन के लिए राज्यों ने भी उस बात को स्वीकार किया, केन्द्र ने भी दबाव पैदा किया और एक प्रकार से भारत में एफआरबीएम कानून के कारण रेवेन्यू और डेफिसिट का संतुलित प्रयास हुआ है। उसके कारण राज्यों की इकोनॉमिकल हेल्थ में तंदुरुस्त बदलाव आया है, एक सकारात्मक बदलाव आया है। इस सरकार ने कानूनन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और कानूनन मैं कह रहा हूं तो इसका बड़ा महत्व है। कानूनन फैसला यह लिया है कि हमारे देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है कि रिजर्व बैंक की एक सोच होती है और सरकार की दूसरी सोच होती है। हमेशा ग्रोथ और इनफ्लेशन की बातें एक-दूसरे से जोड़ कर देखी जाती हैं। यह हमेशा होता है कि इनफ्लेशन है इस कारण से ब्याज दर की यह स्थिति रहेगी, ब्याज दर की यह स्थिति रहेगी तो इनवेस्टमेंट नहीं आएगा, इनवेस्टमेंट नहीं आएगा तो ग्रोथ नहीं होगी, यह विवाद हम सुनते आए हैं। पहली बार इस सरकार ने कानूनन रिजर्व बैंक के साथ कहा है कि अब इनफ्लेशन चार प्रतिशत स्थिर करनी चाहिए, 2 परसेंट प्लस-माइनस, यह कानूनन कहा है। यह व्यवस्था वर्ष 2021 तक रहेगी। इसके कारण जितनी भी फाइनैंस से जुड़ी इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनकी इनफ्लेशन के संबंध में एक जिम्मेदारी बनने वाली है। यह पहली बार कानूनन किया गया है और उसका लाभ मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी टैक्स कलेक्शन सिस्टम को हमारे पास जो बल्क मनी है, उसको डेवलपमेंट पर उपयोग करने की दिशा में और अधिक जिम्मेदारी बढ़ेगी और माहौल बदलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।

यह बात सही है कि देश की आजादी के बाद से आज तक हम गरीबी से लड़ रहे हैं। जब कोई कहता है कि 65 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो यह विरासत हमें मिली है, हमें मालूम है। लेकिन कुछ अच्छा मिलता है और कुछ कम अच्छा मिलता है, दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। हमारे भाग्य में देश की गरीबी आई है, लेकिन गरीबी के खिलाफ लड़ने की इच्छा हम सभी की है, चाहे यहां बैठे हुए इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के हों, सभी की है, तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। हमारी कोशिश है- economically empowerment of the poor, educationally empowerment of the poor. यह दो ऐसी चीजें हैं, जिनके माध्यम से हम एक ऐसी फौज गरीबों की तैयार कर सकते हैं जो स्वयं गरीबी को समाप्त करके विजयी होने के लिए सिर ऊंचा करके निकल सके। इसलिए जीएसटी इस माहौल को

तैयार करने में एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन सकता है और गरीबी के खिलाफ लड़ने में भी यह हमें काम आ सकता है।

हम जानते हैं कि छोटे उद्यमकार जब बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनको कितनी दिक्कतें आती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पुरानी आदतों में बदलाव आए, लेकिन इतने सालों की आदत कैसे बदलेगी, हम मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि काफी बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। छोटे उद्यमकारों को अगर बैंक से लोन लेनी है तो पचासों कागज मांगे जाते हैं और हर कागज पर क्वैश्चन किए जाते हैं, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जबकि उनकी पसंद के लोगों को वह लोन दे देते हैं। जीएसटी के कारण हर व्यक्ति के कारोबार का खाका सर्टिफाइड रूप में हर मिनट उपलब्ध होगा, वह जब बैंक में उस खाके को रखेगा तो किसी भी बैंक के पास डिस्क्रिमिनेशन करने की ताकत नहीं होगी कि किसको लोन देना है या नहीं।

गरीब से गरीब व्यक्ति, सामान्य मनुष्य के हाथ में यह एक सबूत आने वाला है, जिस सबूत के माध्यम से वह सामान्य कारोबार करने वाला व्यक्ति भी चाहे वह दूध बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, नाई हो, अखबार बेचने वाला हो, छोटा व्यक्ति भी अपनी चीजों को लेकर इस काम को कर सकता है और इसलिए जी.एस.टी. की सबसे बड़ी ताकत टैक्नोलोजी की है, उसके कारण रीयल टाइम डाटा अवेलेबल होगा, जब रीयल टाइम डाटा अवेलेबल होता है तो व्यक्तियों को अपनी ताकत, अपनी क्षमता सबूत के रूप में पेश करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है और उसके कारण उसे इसका लाभ मिल सकता है। इसके कारण सहज रूप से जब धन की उपलब्धि होती है तो एक प्रतिस्पर्धा भी आती है। मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा की संभावनाएं बढ़ती हैं और जब मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तब अर्थ रचना को गति मिलती है, नये लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होते हैं और इस व्यवस्था के कारण, मनी फ्लो बढ़ने के कारण रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने का पूरा अवसर इस व्यवस्था के तहत मिलने वाला है।

हमारे देश में निवेश बढ़ाने की दृष्टि से टैक्स टू जी.एस.डी.पी. रेश्यो हमेशा एक क्वैश्चन मार्क के साथ चलता रहा है। इस नई व्यवस्था के कारण यह सवालिया निशान हमेशा-हमेशा के लिए मिट जायेगा और इसके कारण राज्य भी अपने निर्णय करके विकास के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सोशल सैक्टर की मदद करने की सारी बातों को तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं और मैं समझता हूं कि वह इसे बढ़ा पायेंगे।

कभी-कभार हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व्यवस्थाओं को भी उतना ही मजबूत बनाना पड़ता है। व्यक्ति अच्छा ही करेगा, इस विश्वास के साथ इतनी बड़ी बातें चल नहीं सकती। अगर व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो गलत इंसान को भी व्यवस्थित रहने

के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस जी.एस.टी. के कारण टैक्स चोरी करने की जो बातें होती हैं, हम जानते हैं हमारे यहां कच्चा बिल और पक्का बिल ये शब्द ट्रेडर्स में बड़ा पापुलर है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : प्रधान मंत्री जी, आपने फिर इसका क्यों विरोध किया था?...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : मैं कब से इंतजार कर रहा था कि आप खड़े क्यों नहीं हुए?...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: हम जानना चाहते हैं कि आपने इसका विरोध क्यों किया था?...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: आपको कच्चे बिल की चिंता ज्यादा है। हमारे देश में यह एक कारोबार है, कच्चा बिल, पक्का बिल। जी.एस.टी. के कारण व्यापारी स्वयं पक्के बिल के लिए प्रेरित होगा। जैसे अगर मानो हमारा हैल्थ इंश्योरेंस है, जब हैल्थ इंश्योरेंस है तो हम क्या करते हैं, हम अपने मैडिकल के सारे बिल बराबर संभालकर रखते हैं, कोई इधर-उधर न हो जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि ये सारे रहेंगे, तब जाकर मैं क्लेम कर पाऊंगा, तब जाकर मुझे पैसे मिलेंगे। जी.एस.टी. में वह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति है, अगर वह अपने बिल प्रस्तुत करेगा तो उसके हित की जितनी चीजें हैं, उनका उसे रिफंड मिल जायेगा। इसलिए यह जो कच्चे बिल, पक्के बिल की पुरानी दुनिया है, एक प्रकार से वह कालेधन को भी मोबिलाइज करती है, इस पर यह पूरी तरह से रोक लगा देगा, यह पूरी तरह बंद हो जायेगा। यह व्यवस्था एक प्रकार से भ्रटाचार और काले धन दोनों को समाप्त करने में काम आने वाली है और उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसका लाभ जरूर मिलेगा।

हम जानते हैं कि हमारे देश में टैक्स कलैक्शन के पीछे ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ी फौज लगी रहती है। क्लैक्शन का कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। इस व्यवस्था के कारण, सभी ऑनलाइन होने के कारण, टैक्नोलॉजी आधारित होने के कारण हमें कॉस्ट ऑफ क्लैक्शन में बहुत कमी आएगी। जो पैसे देश के गरीब व्यक्ति के विकास के लिए, भलाई के लिए काम आएंगे, उसी प्रकार से जहां पर भी सरकारी व्यवस्थाओं को इंटरफेयरेंस का अवसर मिलता है तो कहीं न कहीं से करप्शन की बू आना शुरू हो जाती है। यह एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है, जिसके कारण करप्शन, इस पूरी क्लैक्शन की प्रक्रिया में जीरो की तरफ जाएगा और उसके कारण भी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में हमें अवसर मिलेगा। यहां डेटा इंटिग्रेशन होने वाला है, यानि कि कच्चे माल से ले कर अंतिम प्रोडक्ट पर, हर जगह पर वह कहीं न कहीं रजिस्टर होता जाने वाला है, इसलिए नेचुरल कोर्स में क्रास चैकिंग की व्यवस्था है। क्रास चैकिंग की व्यवस्था होने के कारण, कहीं पर भी कोई चोरी तुरंत पकड़ी जाती है, कहीं पर भी कुछ गलत हुआ है, गलती हुई है, वह पकड़ी जाती है और उसके कारण एक प्रकार की सीमलेस व्यवस्था हमें लाभ करेगी। यह

एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है, जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलैक्टर के बीच का ह्युमन इंटरफेस करीब-करीब ज़ीरो हो जाएगा। उसके कारण इतना दोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, इतना करोगे तो पूरा हो जाएगा, वह आएगा तो ठीक होगा, इन सारी चीजों से भारत का सामान्य नागरिक मुक्त हो जाएगा और उसकी दिशा में मैं समझता हूँ कि हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।

जीएसटी के कारण एक प्रकार से टैक्स पेयर्स की व्यवस्था ही ऐसी बन रही है कि जिसमें उसको ईमानदारी से मुनाफा होता है। जितना वह देगा, उसको पता चलेगा कि मुझे इतना मिलने वाला है। उसके कारण इन चीजों से हम काले धन को रोकने में भी सफल होंगे। राज्य और केंद्र के टैक्स के आंकड़ें एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे और रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, टैक्स पेमेंट की डिजीटल व्यवस्था हो, ये सारी चीजें ऑन लाइन होने के कारण, ट्रांस्पेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम इसमें पा सकते हैं और पाएंगे।

आगे की दृष्टि से अरूण जी हमारे सामने अपनी बातें रखेंगे। आज तो यहां हम मतदान कर के इस पवित्र कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन 16 से अधिक राज्य जितना जल्दी इसको पारित करें, यह आवश्यक होगा। उसके बाद भी कई संवैधानिक व्यवस्थाएं हमें पूरी करनी होंगी और भी कई कानून हैं, सेंट्रल जीएसटी है, इंटिग्रेटिड जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, ये सारे कानून हमें पारित करने होंगे। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के लिए आज एक दरवाजा खुल रहा है और हम एक शुभ शुरूआत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हमें मिलने वाला है। यह भी सही है कि हम लोगों को, क्योंकि यह नया विषय है तो लोगों की शिक्षा की भी जरूरी होती है, आई.टी. प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, लीगल प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है, टैक्स अथॉरिटी ऑफिशियल्स की प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है, कंज्यूमर की प्रिपेयर्डनेस के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा और तब जा कर हम इस काम को कर पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में लोकतंत्र के जो माहिर देश माने जाते हैं, जो लोकतंत्र की दृष्टि से दुनिया को उपदेश देने का सामर्थ रखते हैं, ऐसे देशों में भी फाइनेंस बिल जैसी महत्वपूर्ण बातें भी कभी-कभी करा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

यह हिन्दुस्तान है, यह भारत का लोकतन्त्र है, यह भारत के राजनीतिक दलों की मेच्योरिटी है, यह भारत के राजनीतिक नेताओं की दूरदृष्टि है कि आज हम वैचारिक विरोधों और राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग होने के बावजूद भी इस महान कार्य को एक स्वर से कर रहे हैं, साथ मिलकर कर रहे हैं, यह अपने आपमें भारत के लोकतन्त्र की बहुत बड़ी ताकत है। एक परसेप्शन जो भी बाहर बनता हो, लेकिन आज मैं इस सदन के सामने बड़े गर्व के साथ और नम्रता के साथ और सभी राजनीतिक दलों का सम्मान करते हुए, गौरव करते हुए, इस सदन में जहाँ भी बैठे हों, यहाँ बैठे हों, सामने बैठे हों, न्यूट्रल बैठे हों, लेकिन हम इस

बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि इस सरकार को करीब 100 सप्ताह से ज्यादा समय हुआ है, लेकिन इन 100 सप्ताह से ज्यादा समय में इसी सदन ने 100 से ज्यादा कानून पारित किए हैं, सेन्चुरी पार कर दी है। यही तो इस सदन की ताकत है और यही देश के लोगों में एक नया विश्वास जगाती है। इस काम के लिए सबकी सकारात्मक भूमिका रही है, सब अभिनन्दन के अधिकारी हैं। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि इसका यश सबको जाता है, सभी सदस्यों को जाता है, सभी राजनीतिक दलों को जाता है, लगातार जिन-जिन लोगों ने प्रयास किया है, उन सबको जाता है और मुझे मेरे अपने विचार रखने के लिए अवसर मिला, मैं अध्यक्ष महोदया जी, सदन का हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हम सब मिलकर के इस कदम की ओर आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)